राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2025
(अपील संख्या :– 601/2025)

प्रमोद बिहारी शर्मा **–प्रार्थी/अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त (राजस्व), शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व), शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षक, एमबीएस अस्पताल, कोटा।
5. धनफूल मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग, कोटा।

–अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.02.2025
आदेश की दिनांक : 19.09.2025

उपस्थित –
प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में प्रार्थना की गई है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.02.2025 पर पुनर्विचार करते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर एमबीएस अस्पताल, कोटा में कार्यरत है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा कोटा में निम्नतर लेखाधिकारी पद पर स्थानांतरण किया गया जो आरएसआर, 1951 के नियम 20 के विपरीत है, जिसके

विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दिनांक 03.02.2025 को सुनवाई उपरांत अधिकरण द्वारा आदेश सुरक्षित रखा गया और दिनांक 07.02.2025 को अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1775/2025 देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2025 के अनुसार आलोच्य आदेश में शामिल जिसमें अपीलार्थी के भी स्थानांतरण हुये हैं तथा अपीलार्थी का कथन अंकित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है जबकि सही तथ्य यह है कि न तो अपीलार्थी ने अपनी अपील में उक्त तथ्य अंकित किये हैं और न ही मौखिक रूप से यह कथन किया कि प्रार्थी के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का उक्त प्रकरण लागू होता है। उक्त न्यायिक निर्णय अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है। फिर भी बिना कथन के उक्त न्यायिक निर्णय में उक्त आदेश का हवाला देते हुये निर्णय किया गया है। चूंकि प्रार्थी/अपीलार्थी वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है और माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के संबंध में था। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें प्रार्थी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अधिकरण के आदेश दिनांक 07.02.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम/द्वितीय के पद पर मानते हुये प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील संख्या 601/2025 में आदेश जारी किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने और तब तक प्रार्थी/अपीलार्थी पर नये पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिये दबाव नहीं डाले जाने के निर्देश दिये गये हैं। जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी के पद पर न होते हुये वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। इस प्रकार उक्त निर्णय दिनांक 07.02.2025 में अपील के समस्त/सही तथ्यों पर विचार न होने के कारण पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है।

हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। आदेश दिनांक 05.10.2023 के अवलोकन

से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ लेखाधिकारी दर्शाते हुये एमबीएस अस्पताल, कोटा से निरीक्षण विभाग, कोटा स्थानांतरित किया गया है। जबकि अधिसूचना दिनांक 02.05.2017 (अनुलग्नक–3) के अवलोकन से स्पष्ट है कि निरीक्षण विभाग में कनिष्ठ सेवा संवर्ग का पद है जबकि अपीलार्थी राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ लेखा संवर्ग का कार्मिक है और इस प्रकार अपीलार्थी को निम्नतर पद पर स्थानांतरण किया जाना सेवा नियमों के नियम 20 के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा उक्त स्थानांतरण आदेश की पालना में कार्यग्रहण किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अंतिम रूप से निस्तारित करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठतानुसार/पदानुसार उचित पद पर स्थानांतरण/पदस्थापन किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार अपीलार्थी के स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य